क्रम संख्या 179

रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकशित
असाधारया
विधायी परिशिष्ट
भाग संख्या - 4 खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अगस्त, 1998
श्रावण 16, 1920 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एंव संस्थागत वित्त अनुभाग- 5
संख्या क0सं0वि0-5-3260/11-98-218(9)-94
लखनऊ, 4 अगस्त, 1998

अधिसूचना

प0सा0–348

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस निमित्त जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचनाओ का आंशिक उपान्तर करके जिला फरूर्खाबाद के उप जिलो कन्नौज और छिबरामाऊ की सीमाओ मे परिवर्तन करके जिला फर्रूखाबाद में एक नया उप जिला तिर्वा बनाते हैं, और उप जिलों तिर्वा, कन्नौज और छिबरामऊ की सीमाओ को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ -3 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं ।

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन राज्यपाल अग्रतर उप जिला तिर्वा में उप निबंधक का कार्यालय स्थापित करते हैं ।

3– यह अधिसूचना 10 अगस्त, 1998 से प्रवृत्त होगी ।

<u>अनुसूची</u>

क्रम सं0	उप जिलों का नाम	उप जिलों की सीमायें
1	**2**	**3**
1	तिर्वा	तिर्वा की राजस्व तहसील
2	कन्नौज	कन्नौज की राजस्व तहसील
3	छिबरामऊ	छिबरामऊ की राजस्व तहसील

आज्ञा से

(हरीश चन्द्र गुप्त)
प्रमुख सचिव।